भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3932**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रसंस्कृत फलों का निर्यात

3932. श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2019 में भारत से निर्यात किए गए प्रसंस्कृत फलों, जो आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से चित्तूर जिले में चालू और स्थापित इकाइयों से आता है का प्रतिशत क्या है;

(ख) चित्तूर जिले में प्रसंस्कृत फलों के निर्यात से अर्जित प्रति इकाई वर्ष–वार राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार के साथ भागीदारी में भारत का फल पल्प उद्योग निर्यात बढ़ावा देने के लिए इन इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 2019-20 में, भारत से निर्यात किए गए प्रसंस्कृत फलों का आंध्र प्रदेश से निर्यात प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है :-

अवधि	पूरे भारत से		आन्ध्र प्रदेश		निर्यात मूल्य में शेयर प्रतिशत
	मात्रा टन में	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर	मात्रा टन में	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर	
2019-20 (अप्रैल 19-दिसम्बर 19*	413349	465.58	70529	58.51	12.6

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जिला-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) और (घ) : फल के गूदे के निर्यात सहित, कृषि निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है। मालभाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मालभाड़ा की हानि का प्रशमन करने और कृषि उत्पादों का विपणन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम – 'विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता' भी आरंभ की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फल के गूदे के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा की निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत फल का गूदा के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है। फल के गूदे के निर्यात सहित, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक स्कीमें अर्थात् निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमईआई) स्कीम, भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएल) आदि भी हैं।

*****